न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014/254 दायर दिनांक 11.12.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालू उर्फ मालाराम के वारिसान 1/1 श्रीमती तुलछी पत्नी मालू उर्फ मालाराम 1/2 गोपालराम पुत्र मालू उर्फ मालाराम 1/3 ओमप्रकाश पुत्र मालू उर्फ मालाराम 1/4 श्रीमती मुन्नी पुत्री मालू उर्फ मालाराम समस्त जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. गोविन्दसिंह पुत्र बुद्धाजी 2. बजरंगसिंह पुत्र बुद्धाजी 3. हनुमानसिंह पुत्र बुद्धाजी 4. महावीरसिंह पुत्र बुद्धाजी समस्त जाति माली निवासीगण सिंघीबास डीडवाना 5. हबीब खां पुत्र सोदू खां उर्फ सोढ खां जाति मुसलमान भाट निवासी सूपका तहसील डीडवाना 6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना 8. श्रीमती धनीदेवी पत्नी स्व0 मंगाराम जाति माली निवासी सिंघीबास डीडवाना 9. किशनलाल दत्तक पुत्र स्व0 मगाराम माली निवासी सिंघीबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा – 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री रामगोपाल अग्रवाल, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री प्रवीण प्रभाकर अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01, 02, 04
3. श्री अजीतसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 03, 08
4. श्री मो0 अली शेरानी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 05

–:: <u>प्राथमिक निर्णय</u> ::–

दिनांक **22.09.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद डीडवाना में कुषि भूमि खसरा सं0 2257, 2258 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा जिसमें से 1/2 खातेदारी स्व0 बुद्धाराम जी के वारिसान प्रतिवादी सं0 01 से 04 की है तथा 1/2 खातेदारी वादी मालू तथा उनके भाई स्व0 मगाराम की थी। स्व0 मगाराम वाला हिस्सा प्रतिवादी हनुमानसिंह ने क्रय कर लिया। इन खेतों में यहां 1/2 खातेदारी वादी मालू और मगा की पैतृक व पुश्तैनी है।

अन्य खसरा सं0 1825, 1931 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में अवस्थित है। जिसकी 1/2 खातेदारी वादी मालू तथा 1/2 खातेदारी स्व0 मगाराम की थी। जिसकी पत्नी से उक्त खातेदारी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/254
दायर दिनांक 11.12.2014 प्राथमिक निर्णय दिनांक 22.09.2017
मालू उर्फ मालाराम बनाम गोविन्दसिंह, वगैरा।

प्रतिवादी सं0 05 हबीब खां ने क्रय कर ली। उपरोक्त चारों खसरान की भूमि वादी तथा क्रेता हनुमानसिंह तथा क्रेता हबीब खां की खातेदारी में दर्ज हो गई किन्तु इन कृषि भूमियों का विधिवत बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। समस्त कृषि भूमियां पक्षकारान के संयुक सिरौली सह खातेदारी की है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 1825, 1831, 2257, 2258 वाके सरहद डीडवाना का विधिवत व कानूनी बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस प्रत्येक खसरा में से समान और बराबर की कीमत की भूमि का अनुपातिक तौर पर बराबर–बराबर का बंट किया जावें तथा तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 06, 07, 09 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 01, 02, 04 की तरफ से वकील श्री प्रवीण प्रभाकर ने तथा प्रतिवादी सं0 03, 08 की तरफ से वकील श्री अजीत सिंह ने तथा प्रतिवादी संख्या 05 की तरफ से वकील श्री मो0 अली शेरानी ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 19.07.2016 को वादी मालू उर्फ मालाराम के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी भी पक्षकार ने आपत्ति पेश नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया।

वादी मालाराम उर्फ मालू के वारिसान ओमप्रकाश एवं प्रतिवादी हनुमानसिंह ने निम्न प्रकार से राजीनामा पेश किया।

वाके सरहद डीडवाना के खेत खसरा सं0 2258 व 2257 कुल रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा में से 1/2 भाग पश्चिमी प्रतिवादीगण 01 ता 04 एवं उत्तरी हिस्सा के चिपते ही पूर्व में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी हनुमानसिंह के कब्जे काश्त व बंट व खातेदारी में रहेगा। उक्त खसरा का 1/4 हिस्सा पूर्वी वादी स्व0 मालू उर्फ मालाराम के वारिसान पती तुलछीदेवी, गोपालराम व ओमप्रकाश के कब्जे काश्त व बंट में रहेगा। उक्त खसरा का मौके पर जितना हिस्सा होगा उसके अनुसार बंट व हक में रहेगा। खसरा सं0 1825 व 1831 का बंट भी मौके पर मुख्य रास्ते पर बराबर हिस्से अनुसार रहेगा।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान व वकुलाय प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। वादी का वाद बंटवारा से संबधित है। अतः तहसीलदार डीडवाना से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद प्राथमिक डिंक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014 / 254
दायर दिनांक 11.12.2014 प्राथमिक निर्णय दिनांक 22.09.2017
मालू उर्फ मालाराम बनाम गोविन्दसिंह, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 1825, 1831, 2257, 2258 का जरिये राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक **22.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner